<u>Court of A.D.J.-VII, Danapur</u>

<u>T.A. – 125/17</u>
Reg – 125/17

08.07.2019

उभयपक्ष की हाजिरी दी गयी। वाद आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

अपीलार्थी द्वारा दिनांक 27.09.18 को U/S 39, Rule -1 & 2 and U/S 151 C.P.C. के अन्तर्गत आवेदन देकर प्रार्थना किया है कि आवेदन के आलोक में उत्तरवादी प्रथम पक्ष को वाद निष्पादन तक वाद सम्पति को भौतिक बनावट में परिवर्तन करने से अलगाव की भावना और रूकावट से रोका जाय। आवेदन शपथ–पत्र युक्त हैं। उत्तरवादी प्रथम पक्ष की ओर से दिनांक 19.02.19 को अपीलार्थी के आवेदन निांक 27.09.18 को शपथ–पत्र युक्त प्रतिउत्तर दाखिल किया गया हैं तथा प्रार्थना किया गया है कि अपीलार्थी का आवेदन विचारणीय योग्य नहीं हैं। उत्तरवादी अपने हिस्से की सम्पति में बिना रूकावाट के स्वतंत्रता पूर्वक रहने का अधिकार है। अतः अर्पीलाथी के आवेदन को अस्वीकृत किया जाय।

अभिलेख का परिशीलन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत वाद में निम्न न्यायालय में वाद ग्रस्त अनुसूची III और IV की सम्पति को संयुक्त सम्पति मानते हुये अपीलर्थी के दावे को अस्वीकृत किया है। यह स्वयं में अपीलार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला होने के दावे को विचलित (Shaken) करता है। उपरोक्त तथ्यों एवम् परिस्थितियों के आलोक में अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 27.09.2018 के दाखिल U/S 39, Rule -1 & 2 and U/S 151 C.P.C. को अस्वीकृत किया जाता हैं।

दिनोंक 05.08.2019 वास्ते अन्य विपक्षी की उपस्थिति हेतु।

लेखापित

अ.सत्र न्या.–VII